हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

वीरवार, 27 अगस्त, 2015/5 भाद्रपद,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (पर्यावरण), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-5/2010 दिनांक 18.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.04.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-7/2010 दिनांक 06.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.07.2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले निदेशालय, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या:जेई-बी-बी(2)-2/2002 दिनांक 16.04.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले उप निदेशक, अनुसूचित जाति उप योजना, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या:डब्ल्यूएलएफ-बी(2)-1/2002-वैल-II दिनांक 23.03.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2015 को प्रकाशित; और

(iii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **113वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 84वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **257वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 274वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **287वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **44वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या: 4.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **12वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग** से सम्बन्धित आश्वासन के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. <u>विधायी कार्य :</u>

<u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 16)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

6. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004
दिनांक: 26 अगस्त, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

नवम् सत्र

वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2015 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	डा0 राजीव बिन्दल :	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं के अन्तर्गत दी जाने वाली योजनाओं की डी0पी0आर0 शीघ्र बनाकर योजनाओं को निश्चित समयावधि के भीतर पूर्ण करवाने के लिए प्रावधान करें ।"
2.	श्री महेन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां व भूमि जो केन्द्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है उसे प्रदेश सरकार वापिस लें ।
3	श्री महेश्वर सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकार प्रदेश में विभिन्न नगर निकायों एवं SADA के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए One Time Settlement की नीति अपनाकर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर प्रावधान किया जाए ।"
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 09-4-2015 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर भी चर्चा होगी ।		
	श्री इन्द्र सिंह:	"यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए ।"

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

******